राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस नोट :–

दिनांक :– 17.09.2024

समाचार पत्र ''दैनिक–भास्कर'' जोधपुर संस्करण में दिनांक 17.09.2024 को छपी खबर में यह लेख है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 02.09.2024 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 के अनुसार ''**जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।**'' संबंधी प्रावधान का विज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के लिए संबंधित सेवा नियम, 1999 के अनुसार आयु गणना का आधार दिनांक 01.01.2025 रखा गया है। उक्त भर्ती में आयु गणना का आधार दिनांक 01.01.2025 होने के कारण अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा देय आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान इस भर्ती में निष्प्रभावी है। इसी कारण उक्त भर्ती के विज्ञापन में इस प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त भर्ती के लिए प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 02.02.2025 को किया जाना संभावित है, परीक्षा तिथि घोषित किये जाने के संबंध में भी प्रेस–नोट दिनांक 04.09.2024 को ही जारी कर दिया गया था।

संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक भर्ती परीक्षा–2024 एवं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा–2024 के पदों हेतु जारी विज्ञापन में अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 के अनुसार इसलिए छूट दी गई थी क्योंकि संबंधित सेवा नियम, 2015 के अनुसार आयु गणना का आधार दिनांक 01.07.2024 रखा गया था।

(रामनिवास मेहता)
सचिव